आरक्षण विधेयक पर राजभवन एवं राज्यपाल के विरूद्ध हो रही स्तरहीन बयानबाजी के संबंध में तथ्य एवं स्थिति

➢ विधिक सलाहकार के विरूद्ध टिप्पणी के संबंध में

राजभवन के विधिक सलाहकार जो कि न्यायिक सेवा के जिला जज स्तर के हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त होते हैं उनके विरूद्ध टिप्पणी करना, राजभवन के अधिकारियों कर्मचारियों के बारे में बोलना उपयुक्त नहीं है।

➢ विभिन्न समाचारों में शासन की ओर से राजभवन के 10 बिन्दु की जानकारी भेजने के संबंध में स्थिति :–

1) बिन्दु क्रमांक 1 के अनुसार मात्रात्मक विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया,

2) बिन्दु क्रमांक 2 के अनुसार उन ''विशेष एवं बाध्यकारी परिस्थितियों को'' नहीं बताया गया है, जिसके अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का प्रतिशत राज्य की सेवाओं में प्रत्येक भर्ती वर्ष के लिए 50 प्रतिशत से अधिक हो सकता है।

3) बिन्दु क्रमांक 3 के अनुसार कोई विशेष परिस्थितियों का उल्लेख पत्रों में नहीं किया है, जो 19.09.2022 के लगभग ढाई माह उपरान्त उत्पन्न हुई थी और न ही विशेष परिस्थितियों के संबंध में किसी डाटा को प्रस्तुत किया है।

4) बिन्दु क्रमांक 4 के अनुसार आपने ऐसा कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है कि राज्य के अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के व्यक्ति किस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं।

5) आपने छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक पिछड़ापन को ज्ञात करने के लिए किसी कमेटी के गठन की जानकारी प्रेषित नहीं की है और न ही ऐसी कोई रिर्पोट प्रस्तुत की है।

6) बिन्दु क्रमांक 6 के अनुसार क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई ।

7) बिन्दु क्रमांक 7 के अनुसार संशोधित अधिनियम के संबंध में शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अभिमत को प्रेषित नहीं किया गया है।

8) बिन्दु क्रमांक 8 के संबंध में सा.प्र.वि. के विशेष सचिव ने यह स्वीकार किया है कि माननीय राज्यपाल के अनुमोदन/हस्ताक्षर उपरान्त आरक्षण संशोधन विधेयक, 2022, ''छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994'' कहलायेगा। लेकिन विधि अनुसार यह संभव नहीं है अर्थात् जब तक विधान सभा द्वारा उक्त अधिनियम, 1994 के शीर्षक में भी संशोधन नहीं किया जाता है तब तक अधिनियम का नाम माननीय राज्यपाल के अनुमोदन के पश्चात् भी परिवर्तित नहीं होगा।

9) बिन्दु क्रमांक 9 के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य राज्य की सेवाओं में क्यों चयनित नहीं हो रहे हैं।

10) बिन्दु क्रमांक 10 के संबंध में पत्रों के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 335 के परिप्रेक्ष्य में यह सूचित ही नहीं किया है कि 72 प्रतिशत आरक्षण (4 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को छोड़कर) लागू करने पर प्रशासन की दक्षता का ध्यान रखा गया है या नहीं रखा

गया है और इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया या नहीं किया गया । संदर्भित पत्र के माध्यम से ऐसी कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई है

- **कहा जा रहा है कि क्वाटिफाईल डाटा आयोग की रिपोर्ट राजभवन को प्रस्तुत कर दी गई है जबकि ऐसी कोई रिपोर्ट राजभवन को नहीं दी गई है।**
- **शासन द्वारा राजभवन के 10 बिन्दु जानकारी के संबंध में पत्र में भेजी गई जानकारी का विवरण।**

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके तारतम्य में आरक्षण संबंधित लंबित संशोधन विधेयकों के संबध में विधिक जानकारी पूर्व में आपको प्रेषित की गई है। राजभवन की पृच्छा के प्रकाश में और प्रदेश की जनता के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुए माननीया राज्यपाल महोदया को अवगत कराये जाने हेतु विस्तृत पूरक जानकारी आपकी ओर प्रेषित की जा रही है।

छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के आंकड़े 2011 की जनगणना पर आधारित हैं। वर्ष 2011 में जनगणना के डाटा अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत आरक्षण के निर्धारण हेतु एक आधार माना गया है। यह आंकड़े पूर्व से प्रकाशित एवं सर्वमान्य है अतः इन्हे स्वीकार किया गया है। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के आंकड़ों के संकलन के लिए जनगणना के आंकड़े ही स्वीकार्य हैं। राज्य में क्वांटीफाएबल डाटा आयोग बनाये जाने का उद्देश्य ही यह था कि शासन के पास अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के संबंध में कोई स्पष्ट एवं प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में आरक्षण के 50 प्रतिशत से ऊपर जाने की व्यवस्था में सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, पूर्व से ही सारे आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होना चाहिए के सिद्धांत पर मिलते रहे हैं। इन वर्गों की आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से कमजोर स्थिति को ही आधार माना गया है।

इसके आधार पर ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण व आर्थिक रूप से पिछड़ेपन को भी वर्तमान परिदृश्य में स्वीकार किया गया है। अतः ये ही वह विशेष और बाध्यकारी परिस्थिति है, जिसके चलते हम समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को आगे लाने के लिए विशेष वैज्ञानिक अध्ययन करवा कर आंकड़ें संकलन करके आरक्षण के लिए विधेयकों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

राज्य शासन द्वारा आदेश क्रमांक एफ 13–9/2019/आ.प्र./1–3 दिनांक 11.09.2019 को क्वांटीफाएबल डाटा आयोग का गठन किया गया। क्वांटीफाएबल डाटा आयोग के गठन के साथ ही उसके उद्देश्य, विधि, प्रक्रिया की घोषणा कर दी गयी थी। दिनांक 19 सितंबर 2019 से आयोग लगातार कार्य करता रहा और 3 साल के गहन परीक्षण, 18 जिलों में 22 बैठकों के उपरांत सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा, सामान्य सभा, नगरीय निकायों, प्रेजिडेंट इन काउंसिल एवं मेयर इन काउंसिल आदि सभी से अनुमोदन करवा कर दावा आपत्ति के पश्चात् दिनांक 21 नवंबर 2022 को रिपोर्ट सौंपी गई।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2011 एवं आरक्षण संशोधन नियम 2012 तथा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय तत्कालीन सरकार द्वारा प्रस्तुत आरक्षण अधिनियमों पर आया है।

आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में माननीय न्यायालयों के पूर्व में दिए गये निर्णयों में उल्लेखित विधिक प्रक्रियाओं एवं प्रावधानों का पालन किया गया है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के डाटा संकलन के लिए आयोग का गठन किया गया साथ ही वर्तमान आरक्षण अधिनियम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विधि सिद्धांतों का परिपालन पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 15 एवं 16 में राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह समस्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए उचित आरक्षण व्यवस्था प्रदान कर सकेगी। संविधान ने बिना किसी प्रतिबंध या क्षेपक के राज्य को इन अधिकारों को प्रदान किया है।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 1, धारा 2 एवं धारा 4 में संशोधन करते हुए आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 विधानसभा द्वारा पारित किया गया है, जो माननीय राज्यपाल के अनुमोदन/हस्ताक्षर उपरांत यह आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 'छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 कहलायेगा।'

लोक सेवाओं में आरक्षण विषय वस्तु एक ही होने से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पृथक से संशोधन विधेयक नहीं लाया गया है। इसे लाया जाना विधिक रूप से उपयुक्त भी नहीं है। स्पष्ट है कि उपरोक्त आयोग की रिपोर्ट के पूर्व वैज्ञानिक आंकड़ा संकलन के कोई प्रयास नहीं हुए थे। यह बात ध्यान देने की है कि कई राज्यों में भी ऐसी प्रकिया अपनाकर रिपोर्ट के आधार पर जनसंख्या को सही प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। माननीय न्यायालयों के आदेशों का पालन करते हुए इस विषय का मूल रूप से निराकरण करने के उद्देश्य से ही यह प्रस्ताव लाया गया है जिसको स्वीकार किया जाना छत्तीसगढ़ की जनता के न्यायहित में होगा।

अतः अनुरोध है कि माननीया राज्यपाल महोदया से उपरोक्त लंबित विधेयक पर हस्ताक्षर करवा कर व्यापक जनहित में शासन को प्रेषित करवाने का कष्ट करेंगे।

संविधान में प्रावधान

[1][***]

167. राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य -- प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह-

(क) राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रि-परिषद् के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे;

(ख) राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे, वह दे; और

(ग) किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किन्तु मंत्रि-परिषद् ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद् के समक्ष विचार के लिए रखे ।

---

1. संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976, धारा 28 द्वारा (3-1-1977 से) खण्ड (4) अन्तःस्थापित किया गया था और संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1978, धारा 23 द्वारा (20-6-1979 से) विलोपित किया गया ।

* M.P.A.D.P.O.-2016.

मंत्रि-परिषद्

163. राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद् -- (1) जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि-परिषद् होगी जिसका प्रधान, मुख्यमंत्री होगा ।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे तो राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं ।

(3) इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी ।